राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2861/2025

श्रीमती शालिनी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक माध्यमिक, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालाना महल कुण्डा, बस्ती जयपुर पूर्व।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.05.2025

आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालाना महल कुण्डा, बस्ती जयपुर पूर्व में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 31.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उदयपुरा, जयपुर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था और अप्रेल, 2023 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त विद्यालय को महात्मा गांधी विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 06.09.2024 को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षकों/कार्मिकों के चयन के उपरांत

कार्यग्रहण के उपरांत ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अशिक्षित माना जावे और अपीलार्थी उक्त विद्यालय में निर्देशानुसार अधिशेष थी। अपीलार्थी ने दिनांक 09.12.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन भी किया, परंतु विद्यालय में अध्ययन योग्य नहीं होने के बावजूद हिंदी माध्यम से होने के कारण तथा अधिशेष होने के बावजूद अपीलार्थी को आज दिनांक तक अधिशेष घोषित नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द नहीं किया गया। अपीलार्थी से जो वरिष्ठ कार्मिक हैं, उन्हें अधिशेष घोषित करते हुये अन्य रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया गया जो विभाग के निर्देशों के विपरीत है, परंतु अपीलार्थी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया। अपीलार्थी स्वयं किडनी की बीमारी से पीडित है, जिसका उपचार चल रहा है और उसके पति की हृदय सर्जरी हुई है, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है। उसके बावजूद भी अपीलार्थी को हिंदी माध्यम के विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान विद्यालय से अचयनित होने के कारण तथा पद विरूद्ध होने के कारण अधिशेष घोषित करते हुये हिंदी माध्यम के विद्यालय में पदस्थापन हेतु जयपुर शहर भेजे जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/

नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य